भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3676

11.08.2025 को उत्तर के लिए

वनतारा नामक निजी चिड़ियाघर को लाइसेंस

3676. कु. सुधा आर. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में वनतारा नामक एक निजी चिड़ियाघर के लिए सभी आवश्यक और अनिवार्य अनुमतियां प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारियों के नाम और तिथि क्या हैं;

(ख) पर्यावरण और वन कानूनों के उन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत सरकार द्वारा उक्त अनुमति प्रदान की गई है और विभिन्न देशों से आयातित और राज्यों से स्थानांतरित किए गए तथा उक्त चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों हेतु दी गई अनुमतियों की सूची क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत एक दशक के दौरान अनुमति प्राप्त अन्य निजी चिड़ियाघरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वनतारा चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों की संख्या, अनुसची-1 के जानवरों सहित, प्रजाति-वार और देश/मूल स्थान-वार कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इन जानवरों की जीवन स्थितियों का निरीक्षण किया है और पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा अध्ययन कराने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 चिड़ियाघरों की स्थापना और मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों द्वारा पशुओं के अधिग्रहण के लिए एक नियामक ढाँचा प्रदान करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण मान्यता प्रदान करते समय चिड़ियाघरों का मूल्यांकन करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात के जामनगर में ग्रीन्स प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र नामक एक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर है। इसके अलावा, राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट में एक हाथी शिविर और पशु देखभाल केंद्र, जिसे मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, गुजरात द्वारा मान्यता प्राप्त है, को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ज(1-क) के अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ज(1-क) के अंतर्गत स्थापना हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त निजी स्वामित्व वाले चिड़ियाघरों और अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्वामित्व वाले चिड़ियाघरों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3676 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक, जिसका उत्तर 11.08.2025 को "वनतारा नामक निजी चिड़ियाघर को लाइसेंस" के संबंध में दिया जाना है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ज (1-क) के तहत निजी स्वामित्व वाले उन चिड़ियाघरों का विवरण जिनकी स्थापना हेतु पूर्व अनुमोदन दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्था का नाम	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	कछुआ, टेरापिन और कछुआ बचाव केंद्र (टीटीटीआरसी)	एसपीएसआर नेल्लोर जिला
2.	कर्नाटक	पक्षी एवं सरीसृप पुनर्वास केंद्र	बेंगलुरु
3.	गुजरात	बचाव केंद्र, राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट	जामनगर
4.	उत्तर प्रदेश	हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र	मथुरा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ज की उपधारा (1), (3) और (4) के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त निजी चिड़ियाघरों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्था का नाम	स्थान
1	गुजरात	ग्रीन्स प्राणी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र	जामनगर

*****